SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE	CODE 1998
IN THE COURT OFJ.M.F.C. Gohad , DIST-, BHIND	) (M.P)
717	
Case No225/17 Complaint or report madeon	***************
by the Samulatan	
Name and address of the Complainant very recommendations of the Complainant very recommendation very recommendation very recom	***************************************
Name , parentage, caste and address of accused	
कारामा हर अहरतिहरू उठ्य केंद्र	e
mail anni PS Tiss	er F
en la companya de la	
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission	
आपने दिनांक 23 917 को समय लगमग / 3.6 अंतर्गत थाना किया में वाहन अंतर्गत थाना किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की घारा के तहत दण्डनीय अपराध न्यायालय के संज्ञान में आता है। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिख्सा चाहते हो।  The plea of the accused and his examination (if any behad)	है और इस
अपराध स्वेच्छ्या स्वीविष है।  Judicial Mag	istrate Visa Class

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## (आज दिनांक 26 9/11) को घोषित)

01. आरोपी की स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की
o1. आरोपा का स्वाच्छपा रार्यान्हां धारा : अप्रदेश १९५० के तहत
धारा , ने का नेकिंगत तहग्रा जाता है।
दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई
पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी कि सिन्द्र हुए हिंद्र कि हारा को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 / 176 MV D के
को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 MYD के
तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमषः राशि रूपये ) उठि
कुल २० इसा८ २, २० (
अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को
अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन अएटट इस्सिक् कु० mp 30 men को
उसके पंजीकृत स्वामी को लोटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class Gonad distt. Bhind (M.P.)